COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय मान• राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र० निग• 1396-I/07

बटोलीराम पुत्र निरपतसिंह निवासी-
ग्राम लोरसनाई तहसील नरवर
जिला शिवपुरी म०प्र०

----- आवेदक

बनाम

1- मायाराम
2- रामस्वरूप
3- रामगोपाल
4- संतोष
5- अरविन्द
समस्त पुत्र भादिराम
6- हरवो पत्नी भादिराम
7- पूजा पुत्री मुन्नालाल ना०बा०
सरपरस्त पिता मुन्नालाल
8- गिरवर पुत्र पन्नालाल
9- रामदास पुत्र पन्नालाल
समस्त निवासी ग्राम लोरसनाई
तहसील नरवर जिला शिवपुरी म०प्र०
10- आदराम पुत्र गिरवर
11- कोमल पुत्र गिरवर
समस्त निवासी ग्राम लोरसनाई
तहसील नरवर जिला शिवपुरी म०प्र०

---- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग प्र०क्र० 215/06-07/अपील बटोली राम/मायाराम आदि तथा प्र०क्र० 31/06-07 विविध

----2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1396–एक/07 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 से 7 एवं 9 के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। शेष अनावेदक पूर्व से ही एकपक्षीय है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेंमो में उल्लेखित है। अतः इसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र0क्र0 215/06–07/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.06.2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मैंने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनंस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से यह प्रकट होता है कि ओवदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा 35(3) का आवेदन निरस्त किये जाने के बाद संहिता की धारा 35(4) के तहत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । संहिता की धारा 35(4) में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उपधारा 3 के अधीन फाईल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया	

जाता है । वहाँ व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाईल कर सकेगा, जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरूद्ध अपील होती है अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा संहिता की 35(3) के अन्तर्गत पारित मूल आदेश के विरूद्ध अपील संहिता की धारा 44(1) के प्रावधानों के अनुक्रम में कलेक्टर को होगी । ऐसी स्थिति में 34(4) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील सुनने की अधिकारिता अपर आयुक्त को नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी प्रकट है कि आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्र0क्र0 67/04–05/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 19.09.05 को न्यायालय अपर आयुक्त में चुनौती दी गई है, जबकि आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त में प्रस्तुत एक अन्य पुर्नविलोकन आवेदन के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट है कि अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश को आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर, शिवपुरी के समक्ष निगरानी प्र0क्र0 7/05–06 के रूप में चुनौती दी गई है और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 18.05.06 को पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त में प्र0क्र0 342/05–06/निगरानी के रूप में चुनौती दी गई है, जो दिनांक 17.04.07 को अस्वीकार की जा चुकी है। इस प्रकार आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश को जहॉ एक बार निगरानी के रूप में चुनौती दी जा चुकी वहीं उसी आदेश को पुनः इस न्यायालय में संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी के रूप में चुनौती दी गई है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2007 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य